आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Home Department (Police), Government of Uttarakhand

Swatantrata Sangram Senaniyon ki Vidhwa Putravadhu ko Uttarakhand Parivahan Nigam ki Bason mein Nihshulk Yatra (Free Bus Travel for Widowed Daughters-in-Law of Freedom Fighters, Uttarakhand)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधुएं परिचय पत्र दिखाकर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं।

क्या मिल सकता है

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधू उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती है। यात्रा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय का जारी परिचय पत्र जरूरी है।

किसके लिए है

उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधुएं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधू हो
- यात्रा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से जारी वैध परिचय पत्र होना अनिवार्य है

दस्तावेज़

- परिचय पत्र के आवेदन पर जिलाधिकारी कार्यालय जो दस्तावेज मांगे

आवेदन कैसे करें

1. अपने जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क कर परिचय पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज पूछें।
2. दस्तावेजों के साथ आवेदन दें, जिसके बाद कार्यालय परिचय पत्र जारी करता है।
3. उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के समय परिचय पत्र दिखाएं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=63
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-freedom-fighter-daughter-in-law-free-bus/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।